जुगल किशोर बनाम सरकार
प्रार्थना पत्र संख्या 03 / 71 / 2024
निर्णय तिथि:–07.01.2025

सत्यमेव जयते

न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलेक्टर राजगढ जिला–अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री रीमा खेतान आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :– 03 / 71 / 2024 ऑनलाईन नम्बरः– 2024 / 382 प्रवेश तिथि:–21.06.2024

1. जुगल किशोर बैरवा पुत्र श्री चुन्नीलाल आयु 73 वर्ष निवासी ग्राम भॉखरी तहसील राजगढ जिला अलवर। ....प्रार्थी

बनाम्

1. तहसीलदार राजगढ जिला अलवर ....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956
उपस्थित :1. किशनलाल वर्मा एड0 –प्रार्थी
2. तहसीलदार राजगढ –अप्रार्थी

–:निर्णयः– दिनांकः–07.01.2025

1 आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम बाबत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की आराजी खाता संख्या 40 आराजी खसरा नम्बर 50 / 0.02, गै0मू0 चाह, 51 / 1.23 है. खाता संख्या 41 खसरा संख्या 153 / 2 / 0.24 है0 वाके ग्राम भॉखरी तहसील राजगढ जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है। उक्त आराजी प्रार्थी को सन् 1975 में अलॉटमेन्ट हुई थी। तथा उक्त आराजी विरासत में प्राप्त हुई थी। तथा उक्त आराजी प्रार्थी की पैत्रिक आराजी है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी व उसके पिता नाम जुगल किशोर बैरवा पुत्र चुन्नीलाल की जगह सहवन से जुगल्या पुत्र चुन्ना दर्ज कर दिया। जबकि प्रार्थी के नाम अन्य रिकार्ड में जुगल किशोर पुत्र चुन्नीलाल जाति बैरवा दर्ज रिकार्ड है। उक्त गलत इन्द्राज से प्रार्थी के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना अति आवश्यक है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी सही नाम जुगल किशोर पुत्र चुन्नीलाल जाति बैरवा दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार राजगढ से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार राजगढ के पत्रांक क्रमांक / भू.अ. / 2024 / 3125 दिनांक 18.12.2024 की मौका जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि शामिल पत्रावली है। मुताबिक हाल राजस्व रिकार्ड वाके ग्राम भॉखरी खाता संख्या 40 जुगल्या पुत्र चुन्ना जाति बैरवा सा0 देह खातेदार दर्ज है। जबकि ग्राम भॉखरी में सम्वत 2035 खाता संख्या 57 में जुगल्या पुत्र चुन्ना के नाम से आवंटन हुआ है। जिसका गैर खातेदार अमल राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ है। तहसीलदार राजगढ की रिपोर्ट से साबित है कि जुगल किशोर पुत्र चुन्नीलाल जाति बैरवा व जुगल्या पुत्र चुन्ना एक ही व्यक्ति है। जिसका सही नाम जुगल किशोर पुत्र चुन्नीलाल जाति बैरवा होना बताया गया।

3. बहस स्वयं प्रार्थी सुनी गई। दौरान–ए–बहस वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये उल्लेख किया कि प्रार्थी की आराजी खाता संख्या 40 आराजी खसरा नम्बर 50 / 0.02, गै0मू0 चाह,

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ
जिला–अलवर

51/1.23 है. खाता संख्या 41 खसरा संख्या 153/2/0.24 है0 वाके ग्राम भाँखरी तहसील राजगढ़ जिला अलवर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी व उसके पिता जुगल किशोर पुत्र चुन्नीलाल जाति बैरवा की जगह सहवन से जुगल्या पुत्र चुन्ना दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी व उसके पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में जुगल्या पुत्र चुन्ना है जिसे दुरूस्त करने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तहसीलदार राजगढ की रिपोर्ट दिनांक 18.12.2024, आधार कार्ड संख्या 3252 5133 6010, राजस्थान सरकार भामाशाह कार्ड संख्या YSCYMOG, जाति प्रमाण पत्र क्रमांक 1127 दिनांक 23.06.2015, कार्यालय ग्राम पंचायत भजेडा के पत्रांक ग्रा0प0 भजेडा/2024–25 दिनांक 03.05.2024, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र RJ/08/0651148198, राशन कार्ड संख्या 007330600095, आदि का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र की पुष्टि में उक्तानुसार प्रस्तुत दस्तावेजात व तहसीलदार राजगढ की जॉच रिपोर्ट से भी प्रार्थना पत्र प्रार्थी तथ्यो के सही होने की पूर्णरूप से पुष्टि होती है, प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 आराजी खाता संख्या 40 आराजी खसरा नम्बर 50/0.02, गै0मू0 चाह, 51/1.23 है. खाता संख्या 41 खसरा संख्या 153/2/0.24 है0 वाके ग्राम भॉखरी तहसील राजगढ जिला अलवर स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार राजगढ को आदेश दिये जाते है कि वो उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी व उसके पिता का नाम जुगल्या पुत्र चुन्ना दर्ज है उसके स्थान पर जुगल किशोर पुत्र चुन्नीलाल जाति बैरवा दुरूस्त किया जावें तथा शेष इन्द्राज यथावत रखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पुर्ति जमा लेख भण्डार हो।

(सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर
सत्यमेव जयते